कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

सत्यमेव जयते

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक/सामान्य अनुभाग/2024-25/D-67 दिनांक: 25/07/2024

निविदा सूचना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, म.प्र. 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड- भोपाल में उपलब्ध पुराना सामान जैसे कूलर स्टील एवं राउंड कुर्सी, computer कुर्सी, स्टील अलमीरा, इन्वर्टर बेटरी के साथ, एवं अन्य सामान (जहाँ है एवं जिस अवस्था में है) के विक्रय के सील बंद लिफाफे में निविदाएँ दिनांक 05/08/2024 अपरान्ह 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेंगी। विक्रय हेतु उपलब्ध सामान को कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में अवलोकन किया जा सकता है।

निविदा के साथ राशि रूपये 2000/- (राशि रूपये दो हज़ार मात्र) कस किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का भुगतान आदेश/बैंक ड्राफ्ट जो कि **"भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम म.प्र, ग्वालियर"** के नाम से देय हो, बयाना राशि (Earnest Money) के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

संलग्नः- निविदा प्रपत्र एवं निविदा नियम एवं शर्तें।

Bhagoliwal

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नामित समिति
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले./ह.)- प्रथम, म.प्र.
53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड- भोपाल

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

सत्यमेव जयते

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक/सामान्य अनुभाग/2024-25/D-68 दिनांक: 25/07/2024

निविदा नियम एवं शर्तें

इस कार्यालय में उपलब्ध पुराना सामान जैसे कूलर, स्टील एवं राउंड कुर्सी, computer कुर्सी, स्टील अलमीरा, इन्वर्टर बेटरी के साथ, एवं अन्य सामान (जहाँ है एवं जिस अवस्था में है) के विक्रय के लिए निविदा देने के लिए निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित निविदा नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा :-

1- निविदाएँ सीलबंद लिफाफे में रखकर उपमहालेखाकार (नि.ले.) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, म.प्र. 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड- भोपाल-462011 के नाम से पंजीकृत डाक से इस कार्यालय को भेजीं जाये अथवा निविदाएँ दिनांक 05/08/2024 को अपरान्ह 1.00 बजे तक वरि. लेखा अधिकारी/नामित समिति के कक्ष में प्रस्तुत की जा सकती है। निर्धारित समय के बाद निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएँ दिनांक 05/08/2024 अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेंगी।

2- निविदाकर्ता द्वारा (पुराना सामान जैसे कूलर, स्टील एवं राउंड कुर्सी, computer कुर्सी, स्टील अलमीरा, इन्वर्टर बेटरी के साथ, एवं अन्य सामान) के क्रय के बारे में लिफाफे के ऊपर सुस्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। निविदा के साथ राशि रूपये 2000/- (राशि रूपये दो हज़ार मात्र) का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का भुगतान आदेश/बैंक ड्राफ्ट जो कि "भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम म.प्र, ग्वालियर" के नाम से देय हो, बयाना राशि (Earnest Money) के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

3- सफल निविदाकर्ता को कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् सामग्री को उठाने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा तथा प्रक्रिया का पालन करते हुए 10 कार्य दिवस में सामग्री उठाने का कार्य पूर्ण करना होगा। पुराने सामान को हटाने का कार्य केवल कार्य दिवस में ही प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.30 (लंच अवधि छोड़कर) तक किया जायेगा।

4- सफल निविदाकर्ता को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, म.प्र. 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल, पिन-462011 के पुराने सामान जैसे कूलर, स्टील एवं राउंड कुर्सी, computer कुर्सी, स्टील अलमीरा, इन्वर्टर बेटरी के साथ, एवं अन्य सामान (जहाँ है एवं जिस अवस्था में है) को निविदा नियम एवं शर्तों के अधीन हटाना होगा। समस्त अनुपयोगी सामग्री हेतु दरों का स्पष्ट उल्लेख अंकों एवं शब्दों में निविदा में किया जाना होगा। उपरोक्त पुराने सामान को भरवाने ट्रक में लोडिंग-अनलोडिंग करने एवं मजदूर का प्रबंध करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी एवं उस पर होने वाले सभी खर्चे ठेकेदार को स्वयं वहन करने होंगे।

5- प्रत्येक प्रेषण (consignment) की कीमत की पूरी राशि स्वीकृत दर से "भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम म.प्र, ग्वालियर" के नाम से देय राष्टीयकृत बैंक का भुगतान आदेश/बैंक ड्राफ्ट इस कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही सामग्री को इस कार्यालय से हटाया/बाहर

ले जाना अनुमत होगा। भुगतान आदेश/बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने के सभी बैंक शुल्क ठेकेदार को स्वयं वहन करने होंगे।

6- ठेकेदार द्वारा लगाये गे कामगार संक्रामक एवं सस्पर्शी बीमारी से मुक्त होना चाहिए। अपने कामगारों के आचरण एवं व्यव्हार के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा और उनकी गलती या लापरवाही के कारण हुई इस कार्यालय के सामान कि हानि या टूट-फूट की क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी। अवांछनीय प्रतीत होने वाले किसी कामगार के कार्यालय परिसर में प्रवेश को बिना कारण वताए उपमहालेखाकार (नि.ले.), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, म.प्र. 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड- भोपाल द्वारा निषिद्ध कर सकेंगे।

7- निविदा शर्तों के अनुसार पुराने सामान आदि के किये भुगतान में कोई चूक होने पर या पुराने सामान को उठाने में चूक करने की दिशा में अथवा निविदा नियम एवं शर्तों अनुसार कार्य न करने पर, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, म.प्र. 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड- भोपाल निविदा नियम एवं शर्तों में वर्णित कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा तथा ठेकेदार को सूचना जारी करने के पश्चात् जब भी कार्यालय चाहे, पुराने सामान को पुनः, बेच दे तथा पुनः बेचने के कारण होने वाली हानि की वसूली करार को प्रभावित किये बिना ठेकेदार से कर सकेंगे अथवा ऐसी स्थिति में उस दिनांक तक जमा सम्पूर्ण राशि को राजसत कर सकेंगे।

8- प्रतिभूति/बयाना जमा के सम्बन्ध में सरकार के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

9- उपमहालेखाकार (नि.ले.) भोपाल द्वारा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर समय-समय पर प्रसारित अनुपूरक शर्तें एवं नियमों को ठेकेदार को मान्य करने होगें।

10- अनुबंध के अंतर्गत उठने वाले समस्त विवाद, अंतर तथा प्रश्न या किसी प्रकार से इससे जुड़े हुए या विषयांतर्गत या सम्बंधित अधिकार, कर्तव्य या दायित्व और या पक्षकारों के अधीन या अनुबंध में उठने वाले सभी विवादों को एकमात्र मध्यस्थ कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम, म.प्र. 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड- भोपाल को संदर्भित किये जायेगे और यदि उपमहालेखाकार (नि.ले.) भोपाल एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के अनिच्छुक हो तो अन्य किसी व्यक्ति को उपमहालेखाकार (नि.ले.) भोपाल द्वारा एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा, जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। ठेकेदार को इस प्रकार की नियुक्ति के बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी कि उपमहालेखाकार (नि.ले.) भोपाल या मध्यस्थ के रूप में नियुक्त व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, और इस अनुबंध से सम्बंधित मामलों का निपटान करना होगा। उपमहालेखाकार (नि.ले.) भोपाल अथवा उनके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्ष पर बाध्यकारी होगा।

11- यदि किसी समय यह प्रतीत होता है कि ठेकेदार किसी और से या उसके प्रतिनिधि द्वारा (ठेकेदार की जानकारी के साथ) सरकार के किसी अधिकारी, प्रतिनिधि को निविदा डालने एवं अनुबंध निष्पादित करने के दौरान कोई रिश्वत, दलाली, उपहार या पेशगी देने या दिए जाने का वादा किया गया है अथवा इसका प्रयास करेगा तो उपमहालेखाकार (नि.ले.) भोपाल द्वारा ठेकेदार पर आपराधिक दायित्व आरोपित कर सकेंगे एवं अनुबंध को निरस्त कर सकेंगे।

12- ऊपर दिए गये नियम/शर्तें मुख्यतः संघ सरकार के हित में सरकार की ओर से कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों और कार्यालय के हितों की सुरक्षा के लिए हैं, जो सरकार की ओर से इनका कड़ाई से पालन करते है। कोई भी अनुग्रह या रियायतें, जो सरकार को सूचना बगेर ठेकेदार को दी जा सकती है, उन समस्त

अनाधिकृत या रियायतों के विरुद्ध सरकार द्वारा उपरोक्त शर्तों के अधीन की जाने वाली कारवाही से बचाव के लिए ठेकेदार को किसी चूक, अनुग्रह अथवा रियायत की दलील देने का अधिकार नहीं होगा।

13- शासन को देय समस्त करों का भुगतान ठेकेदार को स्वयं करना होगा।

Bhagoliwal.

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नामित समिति
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले./ह.)- प्रथम, म.प्र.
53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड- भोपाल

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in
सत्यमेव जयते
SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

निविदा प्रपत्र

स.क्र.	विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्री का नाम	विक्रय हेतु वस्तुओं की कुल संख्या	निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा दर (समस्त पुराने सामान हेतु) (राशि रूपये अंक एवं शब्दों में)	जमा की गयी बयाना राशि (Earnest money) का विवरण
1	स्टील अलमीरा	02		
2	अग्नि शमन यन्त्र	01		
3	राउंड वाली कुर्सी	08		
4	कूलर	13		
5	स्टील कुर्सी	08		
6	पेडलर फेन	01		
7	कंप्यूटर कुर्सी	08		
8	टेबल फेन	01		
9	एकवागार्ड	01		
10	इन्वर्टर (With बैटरी)	01		
11	पेपर शेडर मशीन	01		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय सील एवं पूरा पता